



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12802

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44862/2025

संदीप कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: रविंद्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. आज प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा एकमात्र प्रार्थना यह की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वह उनके समक्ष 06.11.2024 से लंबित वाद संख्या 2486/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202402000002486) (श्रीमती शिवकली देवी बनाम संदीप कुमार एवं अन्य), अंतर्गत धारा 24(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 को निर्धारित अवधि के भीतर तय करें।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वह याची द्वारा दायर उपरोक्त वाद को शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर तय करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"